नोट- पाठ्यक्रम के अनुसार हमें चतुर्थ प्रश्न पत्र की सभी विषय वस्तुओं पर आधारित प्रकरणों (CASE) का अध्ययन करना है। इस प्रकार के सभी प्रश्न पूर्णतया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की समझ पर आधारित होगे। इस प्रकार के प्रकरणों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें पाठ्यक्रम की सभी 7 यूनिटो का अध्ययन करना होगा और साथ ही हमें उसे नैतिक स्तर पर आत्मसात करना होगा और हमें किसी भी पूर्वाग्रह से बचकर प्रकरणों को हल करना होगा। प्रकरणों को हल करने का हमारा आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रशासनिक आचार, सामाजिक आचार, सामाजिक मूल्य, सामाजिक विधान होगे। आगे कुछ प्रकरण दिये गये है जिससे आपको एक समझ विकसित करनी है और उसी समझ क आधार पर हमें अपने प्रश्न पत्र हल करने है।

अतः यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रकरण दिये गये है जिसे आप हल करे और आगे दिये गयें उत्तर मार्गदर्शिका के अनुसार अपना विश्लेषण करे।

## प्रकरण अध्ययन - 1

एक जनसूचना अधिकारी (PIO) को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है, जो पूर्णरूप से सही नहीं थे, इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा उसके अन्य मित्रों के विरूद्ध अनुशासिनक कार्यवाही हो सकती है। जिसमें दण्ड भी सम्भावित है, सूचना प्रकट न करने या आंशिक या छद्मावित सूचना उपलब्ध कराने पर कम दण्ड या दण्ड-मुक्ति भी बल सकती है।


PIO अन्यथा एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है पर यह विशिष्ट निर्णय, जिसके संबंध मे सूचना के अधिकार का आवेदन दिया गया है, गलत निकला वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आया है।

नीचे सुझावों के कुछ विकल्प दिए गए है, प्रत्येक विकल्प का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन कीजिए-

- 1. PIO इस मामले को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और कड़ाई से उसी के अनुसार कार्यवाही करे, चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतया सहमत न हो।
- 2. PIO छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी (कार्यालय में) पर छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को स्थानान्तरण का निवेदन करे।
- 3. PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके इस भाँति उत्तर दे जिससे वह या उसकी जीविका पर जोखिम न आए पर साथ ही सूचना की अंतर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है।
- 4. PIO उन सहयोगियों को, जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्यवाही करे।

अनिवार्य रूप से केवल उपर्युक्त विकल्पों तक सीमित न रहते हुए, आप अपनी सलाह दीजिए और उसके उचित कारण भी बताइए।

उत्तर-



ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09
HEAD OFFICE/ CLASS ROOM: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09
Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

#### नैतिक द्वंद

- प्रशासनिक संहिता बनाम आत्म रक्षण।
- सत्यिनष्ठा बनाम संवेगात्मक बुद्धि।
- स्वच्छ/उत्तम कार्य संस्कृति बनाम तीव्र कार्य निष्पादन।

## PIO के नैतिक पक्ष

सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यपालन, आचार संहिता, कानून पालन, जन अधिकार रक्षा एवं जनहित, खुलापन एवं समानता

- (i) प्रथम विकल्प के अनुसार यदि PIO मामले को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को सन्दर्भित करता है और उसी की सलाह, चाहे उससे वह सहमत न हो, के अनुसार कार्यवाही करता है, तो वह प्रतीत होगा कि वह स्वयं निर्णय लेने मे सक्षम नहीं है दूसरी ओर यह भी कि, जो अधिकारी स्वयं के निर्णय जो उसके चरित्र और नौकरी को प्रभावित करते है उनका निश्चय स्वयं नहीं कर सकता, वह अपना कर्तव्य कैसे ठीक से निभा पाएगा। उसे अपने अधिकारी की सलाह तथी चाहिए, जब वह सलाह उसके सेवा-नियमों, नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर पूर्णतः उचित हो।
- (ii) द्वितीय विकल्प के अनुसार छुट्टी पर जाना और मामले को अपने उत्तराधिकारी पर छोड़ना, इस बात का संकेत करेगा कि वह PIO निर्णय लेने से बचने का प्रयास कर रहा है और यह उसकी गलती की पुष्टि भी करता है सूचना मामले को जाँच हेतु अन्य PIO को स्थानान्तरण भी उचित नहीं होगा, कथोंकि इससे पहले वाले PIO की नकारात्मक छवि बनेगी कि वह स्वयं कठिन निर्णय लेने में सक्षम नहीं है सम्भव है कि उक्त सूचना के मामले में शामिल अन्य कार्मचारी दूसरे PIO के साथ मिलकर मामले को और अधिक उलझा दे।
- (iii) PIO द्वारा सूचना की अंतर्वस्ततु से समझौता करके उत्तर देना। निष्पक्षता और नैतिकता के विरूद्ध होगा, सूचना प्राप्तकर्ता के साथ भी न्याय नहीं होगा। यद्यपि उसके इस कदम से उसकी जीविका पर जोखिम न आए, किंतु यदि वह PIO सामान्यत: ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ है, तब न तो वह इस कार्यवाही से स्वयं सन्तुष्ट होगा और उसकी अंतर्रात्मा भी उसे कचोटती रहेगी।
- (iv) सम्भवतः यह हो सकता है कि वह उक्त मामले मे अपने सहयोगियों से परामर्श करके निर्णय करे, किंतु सम्भव है कि उपर्युक्त निर्णय मे सहभागी कर्मचारियों मे से कोई एक या अधिक व्यक्ति उसे परामर्श दे व दबाव बनाए कि वह सत्य को उजागर न करे अतः यह विकल्प भी उचित प्रतीत नहीं होता।

मेरे मत के अनुसार, क्योंकि PIO ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ है, अत: उसे पूर्णत: सही सूचना उजागर करनी चाहिए तथा अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अथवा वह उस निर्णय को सही मानता है तो उसके समर्थन मे तर्क प्रस्तुत करते हुए सूचना प्रदान करनी चाहिए, इससे उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा प्रमाणित होगी और सम्भव है कि विभागिय अनुशासनात्मक कार्यवाही मे इसके इन गुणों व उसकी नौकरी की पृष्ठभूमि को देखते हुए, न्यूनतम दण्ड मिले एव उसकी जीविका भी खतरे में न आए।

## प्रकरण अध्ययन -2

लोकेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी में अनुसंधान निर्देशक है। उसने हाल में एक महिला प्रियंका को डिजाइन टीम के प्रमुख पद पर प्रोन्नित दी जिसके पास नयी राडार प्रणाली के गहन घटक के विकास का जिम्मा है। प्रियंका को नयी परियोजना के बारे में गहन तकनीकी जानकारी के कारण प्रोन्नित प्रदान की गई। पर कुछ दिनों बाद लोकेन्द्र को ऐसी जानकारी मिलनी शुरू हो गयी कि उस टीम के सारे पुरूष सदस्य एक महिला के परियोजना प्रमुख बनाने की शिकायत कर रहे हैं। यही नहीं, इस बात के भी प्रमाण मिले कि कुछ पुरूष सदस्य परियोजना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकेन्द्र इस बात को जानते हैं कि मेरिट के आधार पर प्रियंका को प्रोन्नित देना उचित था पर यह भी जानता था कि परियोजना का सफल एवं त्विरित निष्पादन केवल कंपनी की सफलता के लिए ही नहीं वरन् उसकी अपनी छिव के लिए भी अनिवार्य था।

ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09

HEAD OFFICE/ CLASS ROOM: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09

Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

अब वह सोच रहा है कि क्या प्रियंका को उसके पद से हटा देना चाहिए? उत्तर हितधारक

महिला व सम्मान

कंपनी व उसकी प्रतिष्ठा 

अाप स्वयं

अन्य कर्मचारी

महिला हटाने पर नैतिक मूल्य पर खतरा - समानता, स्वतंत्रता, कार्य-संस्कृति, क्षमता नेतृत्व, न्याय, साहस, विवेक -दूरदर्शिता, गरिमापूर्ण जीवन,संवेगात्मक बुद्धि एवं निष्पक्षता।

महिला को नहीं हटाने पर नैतिक मूल्य पर प्रभाव - कार्य निष्पादन पर प्रभाव एवं सामूहिकता।

लोकेन्द्र के समक्ष उत्पन्न समस्या को कई बिंदुओं से देखना होगा जिसमें आर्थिक, विधिक एवं नैतिक फ्रेमवर्क भी शामिल है। इस समस्या का सख्त आर्थिक स्वरूप यही कहेगा कि लागत को कम से कम करके दक्षता एवं लाभ को अधिकतम करने का सर्वाधिक दक्ष एवं प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। इस दृष्टिकोण से लोकेन्द्र को प्रियंका को उसके पद से हटा देना चाहिए। वही विधिक दृष्टिकोण से देखने के लिए यह देखना होगा कि क्या प्रियंका को उसके पद से हटाना कानूनी रूप से लैंगिक भेदभाव तो नही है? यह भी कि क्या प्रबंध के पास किसी को कर्तव्य निर्धारण करने का विधिक अधिकार है, निश्चित तौर पर भारतीय संविधान में बिना लिंग विभेद के नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। विधिक कार्रवाई हेतु लोकेन्द्र इस मामले में कानूनी राय लेगा।

वहीं इसे यदि नैतिक ढ़ाचा से देखने पर कई तरह के सबाल पैदा होगे? इनमें दो मूल सवाल है- क्या प्रियंका को पद से हटाना सही होगा? क्या यह उचित व निष्पक्ष होगा? हमें यहा ध्यान रखना चाहिये कि आर्थिक रूप से कोई निर्णय सही होने पर भी नैतिक रूप से गलत है। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं नैतिक बातें निजी जीवन पर लागू होते हैं, उनके व्यावसायिक निर्णयों पर नहीं। इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले यही कहेगे कि व्यावसायिक निर्णय के लिए एकमात्र प्रासंगिक आधार होगा आर्थिक तथा विधिक हितों को ध्यान में रखना। पर ये लोग यह भी मानते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवसाय अनैतिक गतिविधि है। वस्तुत: वे इसे नैतिक ही मानेंगे, तात्पर्य यह कि व्यवसाय अपने नियमों के हिसाब से संचालित होती है। वे मानते है कि व्यवसाय संचालन के लिए कानून आवश्यक नियम उपलब्ध कराते है, इसलिए प्रासंगिक प्रश्न है-क्या व्यवहार वहनीय है और क्या यह वैध है? यदि लोकेन्द्र इस नैतिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है तो वह प्रियंका को उस पद से हटा देगा। पर वह यह मान सकता है कि नैतिक मुद्दे कार्य के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यवहार के लिए भी अच्छा है।

## प्रकरण अध्ययन - 3

आप देश के एक प्रमुख तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष है। संस्थान, प्रोफेसरो के पद के चयन हेतु आपकी अध्यक्षता में साक्षात्कार पैनल का आयोजन शीघ्र ही करने वाले हैं। साक्षात्कार से कुछ दिन पहले आपके पास एक ज्येष्ठ शासकीय अधिकारी के निजी सिचव का फोन आता है, जिसमें आपसे उक्त पद के लिए उस अधिकारी के एक निकट संबंधी के पक्ष में चयन करने की अपेक्षा की जाती है। निजी सिचव यह भी बताते है कि आपके संस्थान के आधुनिकीरण के लिए बहुत समय से लिम्बत महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदान के प्रस्तावों का उन्हें ज्ञान है, जिनकी अधिकारी द्वारा स्वीकृति की जानी है। वे आपको उन प्रस्तावों को अनुमोदन कराने का आश्वासन देते है।


ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09

HEAD OFFICE/ CLASS ROOM: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09

Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

# (a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध है?

उत्तर



नैतिक द्वंद

संस्थान नियम बनाम संस्थान हित

- पद की गरिमा बनाम संस्थान की प्रतिष्ठा

संस्थागत आचार संहिता बनाम दूरदर्शिता (निर्णय में)

- योग्यता बनाम निजी लाभ

- समानता बनाम युक्ति युक्त भेदभाव

पारदर्शिता बनाम गोपनीयता

प्रश्न मे दिए गए प्रकरण के अनुसार हमारे पास निम्नलिखित प्रमुख विकल्प उपलब्ध होंगे-

- (i) उक्त अधिकारी के निजी सिचव के प्रस्ताव को मानकर नियुक्ति करें तथा वित्तीय अनुदान प्राप्त कर संस्थान का हित करे।
- (ii) उक्त अधिकारी की शिकायत उच्च स्तर पर करें और अपने उच्च अधिकारियों की सलाह के अनुसार कार्य करे।
- (iii) उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए अधिकारी के निजी सचिव को स्पष्ट मना कर दे।
- (b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे और क्यो?

उत्तर- प्रथम विकल्प किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। एक प्रतिष्ठित संस्थान, जो देश को तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है, में किसी पद पर सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करना न केवल गलत है, अपितु विद्यार्थियों व देश के भविष्य क साथ विश्वासघात भी है। प्रोफेसर के पद पर नियुक्त व्यक्ति तकनीकी संस्थान के विद्यार्थियों को तकनीकी हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे। अत: इस पद पर नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।

दूसरी ओर संस्थान के वित्तीय प्रस्ताव यदि नियमानुसार एवं उचित है, तो उन्हें अनुमोदन अवश्य मिलेगा, भले ही इसमें कुछ देर हो जाए। संस्थान की प्रतिष्ठा, विद्यार्थियों का हित और हमारे प्रयास से इस कार्य के लिए उच्चस्तर तक जा के अनुमोदन लिया जा सकता है।

द्वितीय विकल्प भी व्यवहारिक नहीं है। यह संस्थान के अध्यक्ष की असक्षमता और भीरूता को स्पष्ट करेगा। जिस नियम के लिए संस्थान के अध्यक्ष स्वयं सक्षम व अधिकृत है। उसके लिए उच्च अधिकारियों के पास जाकर अपनी लाचारी प्रकट करना, उचित नहीं कहा जा सकता।


ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09 HEAD OFFICE/ CLASS ROOM: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09 Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

तृतीय विकल्प ही एकमात्र श्रेष्ठ विकल्प है। क्योंकि यह एक लोक सेवक के रूप में संस्थान के अध्यक्ष की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए आवश्यक भी है। यदि वह स्पष्ट मना नहीं कर पाते हैं, तो सम्भव है कि इसे उनकी कमजोरी मानकर भविष्य में भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते रहें। इससे संस्थान की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचेगा और विद्यार्थियों का भविष्य भी उज्जवल नहीं होगा। योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षक ही विद्यार्थियों को श्रेष्ठ ज्ञान और उच्च नैतिक आदर्शों का पाठ पढ़ा सकेंगे। अत: संस्थान के अध्यक्ष के रूप में हमारे समक्ष एकमात्र उचित विकल्प यहीं है कि, अधिकारी के निजी सचिव को इस प्रकार के अनैतिक प्रस्ताव के लिए स्पष्ट मना कर दे।

## प्रकरण अध्ययन - 4

आप भारत की किसी बड़ी तेल कंपनी के कर्मचारी है। आपकी कंपनी ने वियतनाम में तेल सर्वेक्षण व उत्खनन की निविदा जीती है। आपको वियतनाम के बारे में पता है कि वहां व्यवसाय करने के लिए रिश्वत देना आम बात है। आपको वियतनाम में परियोजना पूरा करने के लिए भेजा जाता है। आपको यह भी पता है कि भारत सरकार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों में संसाधनों की तलाश कर रही है। निविदा आवेदन उसी का हिस्सा है। आपको यह भी पता है कि यदि आप रिश्वत नहीं देते हैं तो प्रतिस्पर्धी देश की कंपनियां आगे निकल जाएगी। ऐसे में वहां आपको परियोजना पूरी करने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

क्या आप परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए रिश्वत का सहारा लेंगे?



## नैतिक मुद्दे-

राष्ट्रित का प्रश्न, पारदर्शिता, गोपनीयता, स्वस्थ-प्रतिस्पर्धा, व्यसायिक नीतिशास्त्र एवं सत्यानिष्ठा।

कुछ लोग यह निर्णय ले सकते हैं कि हम जिस देश मे काम कर रहे है वहां के नियमों एव परंपराओ का पालन करना चाहिए, ऐसे मे रिश्वत देकर परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हमें यहां निर्णय कई नीतिशास्त्रीय सिद्धांत व नैतिक कानूनों को ध्यान मे रखकर निर्णय लेना चाहिए। डियोंटोलॉजिस्ट सिद्धांत के हिसाब मे आपकी कार्रवाई महत्वपूर्ण है यानी रिश्वत देना अनैतिक कार्य है और आपको रिश्वत नहीं देना चाहिए। वहीं टेलियोलोजिस्ट यह कहेगा कि फल अधिक महत्वपूर्ण है भले ही साधन कैसा भी हो। ऐसे मे परियोजना सफलतापूर्वक करने को समर्थन दिया जा सकता है। यहां हम इस मुद्दे को भारतीय व वैश्विक परिप्रेक्ष्य मे देखेंगे। भारतीय नीतिशास्त्र त्वरित लाभ के लिए रिश्वतखोरी को 'रजस गुण' के रूप मे देखता है, और इस दृष्टिकोण से परियोजना के लिए रिश्वत देना गलत है। दूसरा यह कि भारत मे रिश्वतखोरी गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे मे उसके किसी नागरिक द्वारा रिश्वत देना गलत है।

चौथा यह कि भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघ भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय' का हस्ताक्षरी राष्ट्र है। भले ही कुछ देशों मे रिश्वत को अनैतिक नहीं माना जाता हो, भारत ने अभिसमय पर हस्ताक्षर करके इसे सार्वभौमिक माना है।

ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09
HEAD OFFICE/ CLASS ROOM: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09
Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797